समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल पीठ, भोपाल (म.प्र.) निग-1584- II-16

प्रकरण कमांक : /2016 पुर्नविलोकन

(95)

अधिवक्ता श्री अशापारे द्वारा दिनांक 29/4/16 को प्रस्तुत।
29/4/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

1. **दिनेन्द्र कुमार पाराशर,**
पुत्र स्वर्गीय श्री बंधीधर पाराशर,
आयु वयस्क,
निवासी– ई–8/135, त्रिलोचनसिंह नगर,
शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.)

2. **सुरेन्द्र कुमार पाराशर,**
पुत्र स्वर्गीय श्री बंधीधर पाराशर,
आयु वयस्क,
निवासी– ईएस–3, महेन्द्र प्लॉजा, ई–8 एक्सटेंशन,
बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.)

3. **नरेन्द्र कुमार पाराशर,**
पुत्र स्वर्गीय श्री बंधीधर पाराशर,
आयु वयस्क,
निवासी– ई–5/135, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.)

4. **श्रीमती निर्मला साकल्ल,**
पत्नी श्री अशोक साकल्ल,
पुत्री स्वर्गीय श्री बंशीधर पाराशर,
निवासी– एमआईजी–18,
श्रीरामेश्वर एक्वाबाग, मुगालिया,
भोपाल (म.प्र.) ------- **आवेदकगण**

वि रू द्व

1. **रमेशचन्द्र पाराशर,**
आत्मज स्वर्गीय श्री मुरलीधर पाराशर,
कृषक, ग्राम ब्राइखेडी,
निवासी– ई–5/135, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.)

2. **मध्यप्रदेश शासन,**
द्वारा कलेक्टर,
जिला सीहोर (म.प्र.) -------- **अनावेदकगण**

पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 वास्ते निगरानी 3605-दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 का पुर्नविलोकन किये जाने बाबत्

माननीय महोदय,

1. माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर (श्री आशीष श्रीवास्तव, आई.ए.एस.) द्वारा निगरानी कमांक 3605-दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह पुर्नविलोकन याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

2. यह कि माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर (श्री आशीष श्रीवास्तव, आई.ए.एस.) द्वारा निगरानी कमांक 3605-दो/2015 में दिनांक 31.03.2016 को आदेश पारित किया गया है, अस्तु यह पुर्नविलोकन याचिका निर्धारित समयावधि में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के संक्षित तथ्य ::

1. यह कि आवेदकगण उनके पिता स्वर्गीय श्री बंशीधर पाराशर एवं अनावेदक कमांक 1 उनके पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर पाराशर के वंशज एवं विधिक उत्तराधिकारी हैं । श्री बंशीधर पाराशर एवं श्री मुरलीधर पाराशर आपस में सगे भाई थे जिनके संयुक्त खाते में उनकी पैत्रक भूमि कुल रकबा 165.34 एकड़ स्थित ग्राम बाईबोडी, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर में दर्ज रही है । इसके अतिरिक्त खसरा कमांक 18, 19, 69 एवं 70 कुल रकबा 18.92 एकड़ कृषि भूमि है जो कि तत्समय् संयुक्त परिवार की आय से कय की गयी थी तथा श्री मुरलीधर पाराशर के नाम दर्ज की गयी थी । इस प्रकार कुल 184.26 एकड़ कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी जिसमें हिस्से बराबर अर्थात् 1/2-1/2 अनुसार 92.13

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रिव्यु– 1584–दो/2016 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–8–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह रिव्यु प्रकरण मूल निगरानी प्रकरण कमांक 3605–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 31.3.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। 2– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 476/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30–9–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय के निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–3–16 के द्वारा आवेदकगण की निगरानी हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अस्वीकार की गई थी। 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्ही तथ्यों को दोहराया गया है जो निगरानी प्रकरण 'वर्णित हैं, जिनका निराकरण आदेश दिनांक 31–3–165 से किया जा चुका है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।	

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य